

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैप- भोपाल


निंण - 2984-8821

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्रं :-

/2016

प्रस्तुत दिनांक :-

01/9/16



याचिकाकर्ता/ अनावेदक :-

फूलचंद आ० नत्थूजी विश्नोई, व्यवसाय कृषि  
निवासी ग्राम सोनपुरा, तह० खिरकिया,  
जिला हरदा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :-

- 1 मांगीलाल आ० हरि गूर्जर
- 2 श्रीमती राजकुंवर बाई पत्नी मांगीलाल गूर्जर  
दोनों निवासी ग्राम सोनपुरा, तह० खिरकिया  
जिला हरदा
- 3 मदनलाल आ० घिसिया मीणा, निवासी ग्राम  
खेडा, तह० खिरकिया, जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू रा०  
संहिता

उपरोक्त याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, खिरकिया  
द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं 1/अ-13 वर्ष 15-16 ग्राम टेमलावाडी में पारित आलोच्य आदेश  
दि० 8/7/16 की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों  
पर यह याचिका प्रस्तुत करता है।

*(Signature)*

*श्री राजीव शर्मा*  
*न्यायालय*  
*1-9-16 को 4321*

*19*

*11/8/16*


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(4)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2984 -पीबीआर/16

जिला हरदा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर   |
|------------------|---|--|
| 1-6-2017         | <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अनावेदक को अंतरिम रूप से फसल एवं उपकरण ले जाने हेतु अंतरिम रास्ता उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> | <p><br/>(मनोज गोयल)<br/>अध्यक्ष</p> |